UPSP100000972013

Presented on : 26–08–2013
Registered on : 26–08–2013
Decided on : 11–06–2026
Duration : 12 years, 9 months, 16 days

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट–II देवबंद, सहारनपुर

पीठासीनः गौरव दीप सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

दाण्डिक वाद संख्या–400513/2013

राज्य बनाम चतरसैन आदि।

मु0अ0सं0–185/2013
धारा–323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स.
थाना–नानौता, जिला सहारनपुर।

शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष	राज्य/सरकार (मूल सूचनाकर्ता – नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह
अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री रविन्द्र कुमार पुण्डीर

अभियुक्तगण का विवरण–

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी/ अभिरक्षा का दिनांक	जमानत का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध
1.	चतरसैन पुत्र पीरू	16.01.2014	16.01.2014	323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स.	दोषमुक्त
2.	चन्द्रसैन पुत्र पीरू	16.01.2014	16.01.2014	323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स.	दोषमुक्त
3.	मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन	16.01.2014	16.01.2014	323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स.	दोषमुक्त
4.	बन्टी पुत्र चन्द्रसैन	16.01.2014	16.01.2014	323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स.	दोषमुक्त

घटना का दिनांक	12.07.2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	14.07.2013
आरोप–पत्र का दिनांक	30.07.2013
आरोप विरचित करने का दिनांक	26.08.2014
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	20.01.2026
बहस का दिनांक	16.05.2026
निर्णय का दिनांक	11.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की विस्तारपूर्वक बहस को सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते निर्णय आज नियत है।

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद पुलिस थाना–नानौता, जनपद सहारनपुर द्वारा मु0 अ 0 सं0 185/2013 में अभियुक्तगण चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन निवासीगण ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जिला सहारनपुर के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा–323, 324, 325, 504, 506 भा.द.स. के आधार पर संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–प्रार्थी नारायण पुत्र कलम सिंह निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जि०(सहा) का रहने वाला है और प्रार्थी के पिता कलम सिंह व पीरू दोनो सगे भाई थे और दोनो के पास जमीन थी कुछ जमीन पर दोनो का अलग–अलग खेतो पर अपने खेत जोत रहे थे लेकिन एक खेत ऐसा था जिसमे प्रार्थी के हक मे होते हुए उसको पीरू के लडके जोत रहे थे और प्रार्थी उनकी जमीन को जोत रहा था इसी बाबत तीन दिन पहले थाने पर रिपोर्ट दी गयी जिसमे तहसील से लेखपाल व थाने की पुलिस द्वारा खेत की पैमायश की गई और प्रार्थी को उनका खेत दे दिया गया और चतर सैन व चन्द्र सैन को उनका खेत दे दिया गया अलग–2 अपने खेतो पर हो गये लेकिन चतर सैन चन्द्र सैन पुत्रगण पीरू , मोन्टी बन्टी पुत्रगण चन्द्रसैन निवासीगण ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता यह लोग जबरदस्ती लेखपाल व पुलिस द्वारा कराये गये कब्जे को हटाने के लिये जो डौल दी गयी थी उसको तोड रहे थे और दिनांक 12/7/2013 को सुबह समय करीब 6:30 बजे की बात है चतर सैन व चन्द्र सैन अपने हाथो मे चतर सैन ने तलवार चन्द्रसैन ने तबल व मोन्टी ने सरिया व बन्टी ने लाठी लेकर घर से गाली देते हुए प्रार्थी को यह कहकर खेत पर गये कि बहन चोद हम आज इस डौल को उखाडेंगे और तेरे से जो हो कर ले इस बात पर नारायण व उसकी पत्नी श्रीमति मैना दोनो खेत पर पहुंचे तो नारायण व मैना को जान से मारने की नियत से चतर सैन ने तलवार व चन्द्र सैन ने तबल से वार किए जिससे मैना व नारायण दोनो घायल हो गए यदि उनको बचाने के लिये मोके पर बलवीर सन्टी व सन्नी जा रहे थे उनको भी रास्ते में खेत पर आते ही चतरसैन व चन्द्रसैन ने बुरी तरह से अपने हाथो मे लिये हुए तलवार व तबल से घायल कर दिया जिससे इन लोगो को काफी चोटे आई है। मौके पर धर्मपाल पुत्र भरतू रोशन पुत्र खिलावन रणवीर पुत्र कर्मसिंह नि०गण ग्राम पान्डोखेडी सन्नी व मैंना को सरकारी अस्पताल में नानौता में करायी गयी जिसकी फोटोकापी साथ में संलग्न है। यहाँ जवाब देने के कारण सरकारी अस्पताल सहारनपुर में भर्ती है। जो जिन्दगी और मौत से जूझ रहे है। मैं रपट को आया हूँ मेरी रपट लिखकर उचित कार्यवाही की जावे।

3– वादी मुकदमा नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह की तहरीर के आधार पर थाना नानौता में मु0अ0सं0 185/2013 अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा.द.स. के अंतर्गत चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन के विरूद्ध पंजीकृत किया तथा मामले की विवेचना जारी रखी गयी।

4– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा व अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। मौके पर मुआईना कर नक्शा–नजरी बनाया गया तथा विवेचनोपरांत संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन के विरूद्ध अंतर्गत धारा– 323, 324, 325, 504, 506 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा इस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

5– अभियुक्तगण चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन को विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी व बन्टी न्यायालय में उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2014 को आरोप अ० धारा 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.सं. में विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया।

6– अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–01 के रूप में मैना पत्नी नारायण सिंह, पी०डबलू०–02 के रूप में नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, पी०डबलू०–03 के रूप में सन्टी कुमार पुत्र नारायण सिंह, पी०डबलू०–04 के रूप में सन्नी कुमार पुत्र नारायण सिंह तथा पी०डबलू०–05 के रूप में बलबीर पुत्र कलम सिंह को परीक्षित कराया गया है।

7– साक्षी पी०डबलू०–1 मैना पत्नी नारायण सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना की दिनांक व समय मुझे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी व बन्टी ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व धारदार हथियारों से कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही जान से मारने की धमकी दी थी। उपरोक्त मुल्जिमान मेरे परिवार के ही हैं। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

7.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। परन्तु यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में आज झूठा बयान दे रही हूँ।

8– साक्षी पी०डबलू०–2 नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–मेरे और मेरे परिवार के चन्द्रसैन व चतरसैन के साथ खेत की जमीन को लेकर विवाद था। जिसको लेखपाल व पुलिस द्वारा समाधान करा दिया गया था। परन्तु चन्द्रसैन, चतरसैन, मोन्टी व बन्टी द्वारा समझौते से जो मेढ बनायी गयी थी, उसको तोड रहे थे, घटना दिनांक 12–07–13 को सुबह करीब 6.00 बजे की है। चन्द्रसैन व चतरसैन, मोन्टी व बबली लाठी डन्डों के साथ गाली गलौच करते हुए मेरे पास आए और कहा कि डौल उखाड देंगे, शोर सुनकर मौके पर नारायण व उसकी पत्नी मैना भी मौके पर आ गए। तो इन सब ने नारायण व मैना के साथ मारपीट की। उन्हें बचाने के लिए बलबीर, सन्नी व सन्टी आ गए उनको भी इन सभी ने मारपीट करते हुए चोट पहुँचायी। मौके पर धर्मपाल, रोशन, रणबीर आदि लोग आ गए। सन्नी व मैना की डाक्टरी करायी थी। उक्त घटना की तहरीर किसी से

लिखवाकर हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी, जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। इस मारपीट में मुझे भी चोटें आई थी, जिसकी मैंने डाक्टरी करायी थी।

8.1– बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि घटना की तारीख व समय आज मुझे याद नहीं है। घटना आज से लगभग 12–13 साल पुरानी है। हमारा चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी व बन्टी से खेत को लेकर विवाद था। मेढ तोडने को लेकर हमारी कहासुनी हो गयी थी, मौके पर काफी भीड इकट्ठा हो गयी थी। धक्का मुक्की में हैरो टीलर व ईंटों पर गिरने से मुझे चोटें आ गयी थी। यह भी कहना सही है कि उक्त उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर लाठी डन्डों, तलवार व तबल से मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।

8.2– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि मैं आज अदालत में झूठा बयान दे रहा हूँ।

9– साक्षी पी०डबलू०–3 सन्टी कुमार पुत्र नारायण सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि– घटना आजे से करीब 12–13 साल पुरानी है। मेरे पिताजी नारायण सिंह की हमारे परिवार के चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी एवं बन्टी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। बीच बचाव के दौरान मैं भी पहुँच गया था। बीच बचाव में दीवार पर सिर लगने से मेरे सिर में चोट आ गयी थी जिसकी डाक्टरी मैंने सरकारी अस्पताल में करायी थी। यह भी कहना सही है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने मेरे साथ लाठी डन्डों व धारदार हथियार से एक राय होकर कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही हमारे साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अब हमारे बीच आपस में सुलह हो गयी है। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

9.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि मैं किसी दबाव में आने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

10– साक्षी पी०डबलू०–4 सन्नी कुमार पुत्र नारायण सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना आज से करीब 12–13 साल पुरानी है। दिनांक व समय आज मेरे याद नहीं है। मेरे पिता नारायण सिंह की हमारे परिवार के चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी एवं बन्टी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। शोर सुनकर मैं भी मौके पर पहुँच गया था। बीच बचाव के दौरान मुझे भी चोट आ गयी थी जिसकी डाक्ट्री मैंने सरकारी अस्पताल नानौता में करायी थी। यह कहना सही है कि उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने मेरे साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी कहना सही है कि हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

10.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई

वजह नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि मैं किसी दबाव में आने के कारण आज अदालत में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

11– साक्षी पी०डबलू०–5 बलबीर पुत्र कलम सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना की दिनांक व समय आज मुझे याद नहीं है। मेरे भाई नारायण सिंह की हमारे परिवार के ही चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी व बन्टी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। मैं घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। मैं खेत पर गया हुआ था। मुझे घटना की जानकारी बाद में गाँव वालों से हुई थी। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

11.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में मुल्जिमानों को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ।

12– वादी द्वारा अन्य गवाहों को डिरस्चार्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सबमिट किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान अ०धारा 313 दं0प्र0सं0 नियत की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया तथा अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 15.05.2026 को अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक गलत तथा स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया है।

13– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का कथन किया गया।

15– जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध न करने तथा अभियोजन द्वारा अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित न कराने के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गए आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का कथन किया गया।

16– अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि दिनांक 12.07.2013 समय करीब 6 बजे सुबह स्थान जंगल ग्राम पाण्डोखेडी में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति हेतु एक राय होकर वादी मुकदमा, उसकी पत्नी एवं वादी के लडकों के साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छयापूर्वक साधारण उपहति एवं घोर उपहति कारित की एवं उन्हें लोक शांति भंग करने के प्रकोपित आशय से गाली–गलौच कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

17– प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–01 मैना पत्नी नारायण सिंह (मजरूब साक्षी), पी०डबलू०–02 के रूप में नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह

(वादी मुकदमा), पी०डबलू०–03 के रूप में सन्टी कुमार पुत्र नारायण सिंह (मजरूब साक्षी), पी०डबलू०–04 के रूप में सन्नी कुमार पुत्र नारायण सिंह (मजरूब साक्षी) तथा पी०डबलू०–05 के रूप में बलबीर पुत्र कलम सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी) को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के अलावा अन्य किसी साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

18– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०–01 जो कि मजरूब साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुई है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी व बन्टी ने उसके साथ और उसके परिवार के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व धारदार हथियारों से कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही जान से मारने की धमकी दी थी। उपरोक्त मुल्जिमान उसके परिवार के ही हैं। उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने बयान 161 CRPC से भी इन्कार किया गया है। साक्षी पी०डबलू०–2 जो कि वादी मुकदमा है उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसका चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी व बन्टी से खेत को लेकर विवाद था। मेढ तोडने को लेकर कहासुनी हो गयी थी, मौके पर काफी भीड इकट्ठा हो गयी थी। धक्का मुक्की में हैरो टीलर व ईंटों पर गिरने से उसे चोटें आ गयी थी तथा उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर लाठी डन्डों, तलवार व तबल से उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने बयान 161 CRPC से भी इन्कार किया गया है। साक्षी पी०डबलू०–03 जो कि उक्त घटना का मजरूब साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसके पिताजी नारायण सिंह की उसके परिवार के चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी एवं बन्टी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। बीच बचाव के दौरान वह भी पहुँच गया था। बीच बचाव में दीवार पर सिर लगने से उसके सिर में चोट आ गयी थी तथा उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसके साथ लाठी डन्डों व धारदार हथियार से एक राय होकर कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साक्षी पी०डबलू०–04 जो कि उक्त घटना का मजरूब साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसके पिता नारायण सिंह की उसके परिवार के चतरसैन, चन्द्रसैन, मोन्टी एवं बन्टी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। शोर सुनकर वह भी मौके पर पहुँच गया था। बीच बचाव के दौरान उसे भी चोट आ गयी थी तथा उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने उसके साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी पी०डबलू०–05 जो कि चक्षुदर्शी साक्षी है वह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। वह खेत पर गया हुआ था। उसे घटना की जानकारी बाद में गाँव वालों से हुई थी।

19– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से अभियोजन कथानक एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है और घटना की संबद्धता अभियुक्तगण से स्थापित नहीं हो पा रही है। साक्षी पी०डब्लू०–02 जो कि वादी मुकदमा है उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर लाठी डन्डों, तलवार व तबल से उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।। अन्य सभी साक्षीगण पी०डब्लू०–01, 03 व 04 जो कि घटना के मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं, पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा उनके द्वारा उक्त मुल्जिमान द्वारा उक्त घटना कारित करने से स्पष्ट

रूप से इन्कार किया गया है तथा अपनी चोटों का कारण आपसी धक्का–मुक्की, बीच–बचाव अथवा किसी नुकीली चीज पर गिरने से बताया गया है। स्वतंत्र साक्षी पी०डब्लू०–05 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा घटना के समय स्वयं को मौके पर अनुपस्थित बताया है। यद्यपि उपरोक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर उनसे प्रतिपरीक्षा की गयी, तथापि उनकी प्रतिपरीक्षा से भी अभियोजन के पक्ष में ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती हो अथवा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों का समर्थन होता हो। तथ्य के अन्य किसी ऐसे साक्षी या किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जो घटना की संबद्धता अभियुक्तगण से स्थापित कर सके। जहाँ तक पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का प्रश्न है, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है तथा अभियोजन प्रपत्रों में प्रदर्शित तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। जिस कारण अभियोजन प्रपत्रों को साक्ष्यिक महत्व शून्य हो जाता है।

20– उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स. को अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

1. मु0अ0सं0 185/2013, थाना– नानौता, जिला सहारनपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण चतरसैन पुत्र पीरू, चन्द्रसैन पुत्र पीरू, मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन व बन्टी पुत्र चन्द्रसैन निवासीगण ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जिला सहारनपुर को अंतर्गत धारा 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 भा.द.स. से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। जामिनान को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक धारा 437ए द0प्र0सं0 के तहत अंकन 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक–एक नया जमानती दाखिल करे।

3. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः11.06.2026

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– II
देवबंद, सहारनपुर
UP3741

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः11.06.2026

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–II
देवबंद, सहारनपुर
UP3741

<u>परिशिष्ट</u>-

सूची अभियोजन साक्षीगण

अभियोजन साक्षीगण संख्या	साक्षीगण का नाम	विवरण
PW-1	मैना पत्नी नारायण सिंह	मजरूब साक्षी
PW-2	नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह	शिकायतकर्ता
PW-3	सन्टी कुमार पुत्र नारायण सिंह	मजरूब साक्षी
PW-4	सन्नी कुमार पुत्र नारायण सिंह	मजरूब साक्षी
PW-5	बलबीर पुत्र कलम सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी

सूची अभियोजन प्रदर्श-

क्र०सं०	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श क-1	तहरीर
2.	प्रदर्श क-2	एक्स-रे रिपोर्ट नारायण सिंह
3.	प्रदर्श क-3	एक्स-रे रिपोर्ट श्रीमती मैना
4.	प्रदर्श क-4	एक्स-रे रिपोर्ट सन्नी
5.	प्रदर्श क-5	सप्लीमेंट्री रिपोर्ट श्रीमती मैना
6.	प्रदर्श क-6	नक्शा नजरी
7.	प्रदर्श क-7	मेडिकल सन्टी व सन्नी
8.	प्रदर्श क-8	मेडिकल श्रीमती मैना
9.	प्रदर्श क-9	मेडिकल बलबीर सिंह
10.	प्रदर्श क-10	मेडिकल नारायण सिंह
11.	प्रदर्श क-11	प्रथम-सूचना रिपोर्ट
12.	प्रदर्श क-12	आरोप-पत्र